भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3606
17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: 'दाना' चक्रवात के कारण किसानों को हुआ नुकसान

3606. श्री अनन्त नायकः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए 'दाना' चक्रवात के कारण किसानों को हुए नुकसान से अवगत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने दाना चक्रवात के कारण किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए किसी वित्तीय सहायता की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): चक्रवात सहित किसी भी आपदा के कारण किसानों को हुई हानि के डेटा का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है। हालांकि, ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 'दाना' चक्रवात के कारण 87,855 हेक्टेयर फसल क्षेत्र 33% और उससे अधिक की सीमा तक प्रभावित हुआ।

(ग) एवं (घ): अक्टूबर 2024 में आए 'दाना' चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा सरकार से ज्ञापन प्राप्त किए बिना ही ओडिशा के प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन करने के लिए 11 नवंबर 2024 को एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया गया। टीम ने 24 से 26 नवंबर 2024 के दौरान राज्य का दौरा किया।

(ङ) एवं (च): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, हानि का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं, जो पहले से ही भारत सरकार के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके पास है। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि मुआवजे के लिए।

आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

*****